राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 38 / 2020

निर्णय दिनांक :– 23.03.2021

प्रार्थीगण :–

1. तीजोदेवी पत्नी हंसारामजी
2. जीवी पुत्री हंसारामजी
3. सुकी पुत्री हंसारामजी
4. ओगडराम पुत्र हंसारामजी
5. भंवरलाल पुत्र हंसारामजी

जातिगण–जाट निवासीगण–माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जमुदेवी पुत्री चुनारामजी
2. नाथाराम पुत्र चुनारामजी
3. भगवानलाल पुत्र चुनारामजी
4. मांगीलाल पुत्र चुनारामजी
5. मालाराम पुत्र चुनारामजी
6. सदा पुत्र तेजारामजी

जातिगण–जाट, निवासीगण–माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–:वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम:–

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

उपस्थितिः–

1. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक :– 23.03.2021**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ, पटवार हल्का माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की सयुक्त खातेदारी कब्जा एवम् काश्त सुदा कुषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 461 रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु बेरा, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.3900 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 476 रकबा 1.7800 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव, खसरा नम्बर 477 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 669 रकबा 1.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 697 रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा–15 कुल रकबा 7.9100 हैक्टर लगान 207.11 रूपये विद्यमान है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवम् अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का 1/3 व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा विद्यमान है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की है जिसका प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के मध्य कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच में आपस में बंटवाडा हो चुका है एवम् मौके पर काबिज है व मौके पर आने जाने का रास्ता भी खुला हुआ है, मात्र राजस्व रिकोर्ड में बंटवाडा होना बाकी है। चुंकि कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही होने के कारण अप्रार्थीगण उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमादा है एवम् टण्टा–फसाद करते है तथा जमीन को खुर्द बुर्द करने व अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवम् अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजीयात में उनकी काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा रहते है।

यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मूलवाद में निर्णय में लम्बा समय लगेगा जबकि मौके पर वादग्रस्त आराजी बंटी हुई है जिससे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवम् अप्रार्थीगण जमीन को खुर्दबुर्द करने व जमीन को अन्यत्र किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवम ऐलानीयां धमकिया दे रहे है। अप्रार्थीगण के इस अवैध कृत्य से प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी एवम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगा व अप्रार्थीगण मौके पर टण्डा फसाद करेंगे एवम् प्रार्थीगण के बंट की भूमि पर नाजायज दखलन्दाजी करेंगे व उसे खुर्दबुर्द करेंगे, जिससे अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार से काश्त करने, जमीन को खुर्द बुर्द करने, अयन्त्र अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने एवम् प्रार्थीगण के बंट की आराजीयात में दखलन्दाजी करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवम् न्यायसंगत है। जिससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोईक्षति होने का प्रश्न नही है न ही कोई क्षति होगी। जिससे मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायहित मे जारी की जाना नितान्त आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवम् मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि के उपयोग उपभोग एवम् आवागमन मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी, रोक टोक, हस्तक्षेप, बाधा अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे एवम् ना ही अपने अभिकर्ता या एजेन्ट से करावे एवम् अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को खुर्दबुर्द, डेमेज आदि नही करें तथा न ही अप्रार्थीगण अनजान व अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण करे एवम् मौके पर आने जाने के रास्ते में अवरोध कर रास्ता बंद नही करें इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके एवम् रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद के अन्तिम निस्तारण तक जारी करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 बावजूद नोटीस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया—

प्रथम दृष्टया मामला — वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा विद्यमान है। मौके पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के बीच मे आपस में बंटवाडा हो चुका है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। किन्तु कानूनन बंटवाडा नही होने के कारण अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने तथा जमीन को खुर्दबुर्द करने हेतु आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सहखातेदार है। अतः सहखातेदार होने के सभी पक्षकारो का उक्त वादग्रस्त आराजी में समान हक अधिकार निहित है। तथा प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त की भूमि पर दखलन्दाजी तथा अन्य को हस्तान्तरण करने से रोकने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रार्थी के कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी में किस ओर है तथा प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाते से हुए बंटवाडा का उल्लेख किया है परन्तु इस संबंध में भी किसी प्रकार का अभिलेख पेश नही किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया में यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण सयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा सन्तुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का सन्तुलन पर विचार किया गया। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है अतः सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक अधिकार है। अस्थाई निषेधाज्ञा यदि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी कि जाती है तो अप्रार्थीगण को भी उतनी ही असुविधा होगी जितनी प्रार्थीगण को होगी। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के बंट की कृषि भूमि पर नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवम् अप्रार्थीगण जमीन को अन्यत्र किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो को कुठाराघात होगा एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगा। अप्रार्थीगण के इस कृत्य से प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। सहखातेदार के मध्य हुए बंटवाडे के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया गया। मात्र प्रार्थना पत्र में सहखातेदारो के मध्य हुए बंटवाडा का उल्लेख किया है परन्तु इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है उसे अप्रार्थीगण को भी उतनी ही अपूरणीय क्षति होगी जितनी प्रार्थीगण को होगी। सहखातेदार होने से दोनो को होने वाली अपूरणीय क्षति भी समान होगी। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 05 पर...

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दुओं प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested